तहसीलदार बनाम सरकार
मु.नं. 33/19

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी ,कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
25/9/19	आज यह प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 को तहत तहसीलदार कोटकासिम ने पेश किया। हल्का पटवारी व भू.अ.नि. हरसौली ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि हरसौली की मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 के खाता संख्या 1 से 38 तक नहीं हुई है। मिसल बन्दोबस्त के बाद तैयार जमाबन्दी सं. 2033 के खाता सं. 42/2 में खातेदार कालिया पुत्र - 1/4 हिस्सा दर्ज है। जो हाल जमाबन्दी के खाता सं. 183 व 184 में बदस्तूर जारी है जिसमें पिता का नाम अंकित कर दुरुस्त किया जावे। और हाल जमाबन्दी में कालिया पुत्र बख्ता कौम जाट 1/4 हि. दर्ज किया जावे। तहसीलदार कोटकासिम ने भी अपनी रिपोर्ट में शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व प्रस्तुत रिकार्ड की जांच की गई। सम्वत 2021 की जमाबन्दी में कालिया पुत्र बख्ता कौम जाट अंकित है हल्का पटवारी, भू.अ.नि. हरसौली एवं तहसीलदार कोटकासिम की रिपोर्ट के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अत: प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम हरसौली तहसील कोटकासिम के खाता सं. 183 व 184 में कालिया पुत्र बख्ता कौम जाट हाल जमाबंदी में अंकित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो मिसल बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner